

पत्र (प्रो)

विधि

कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा वन-भूमि में प्रथम उत्तर सरकार के प्रो. आर्देट
व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की ओर उनका प्रतिबंधन राज्यपाल अधिनियम १९३३ (१९३३ का
राज्यपाल अधिनियम संख्या ११) की बारा २६ की उप-बारा (३) के अधीन जारी की गई विधि के अनुसार में किया जा
रुका है।

प्रतः प्रत्येक अनुसूचित अधिनियम की बारा २६ की उप-बारा (१) के द्वारा प्रस्ताव व्यक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार
एवंद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के प्रस्ताव ४ के अनुसार, पूर्वांत वन-भूमि और वन-भूमि पर लागू होंगे जो कि
एवंद्वारा रचित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वर्ग-संख्या	नोवा	अनुसूचित क्षेत्रफल (एकड़ में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६

जम्मा
सीकर
श्रीमधोपुर

नोवा विवरण (अ) बलाना है	एकड़	एकड़
होपल	१३९.६५	५६-५०
सडा बीजपुर	१०१९.३७	६३३-००
भोक्कवास	३५४.५८	१५३-८०
दरिखा	५७४.५०	२३१८-६०
नारदा	९१७.१८	८३-५०
नानगवास	५४३.६३	२३०-००
रायपुर	१७५.१३	७०-८०
गाहराटा	.६३	०-२८
कुहाला	७०४.६५	३४५ ५०-१०
ठांठा	४४३५.६५	१७९५-००
कैपुरा	१९५०.५९	५३२-२०
लादिकावास	११४५.०९	५६३-५०
बनराखेदा	९९.१३	३७-३०
मुन्डला	१५११.६३	३५३-५०
जौनारि	४७७.८९	
दुदावास	७०१४.०३	
कुमारा	६२९.००	

(सदीप कौर)
शा.स.से.
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

प्रस्ताव (श्री)

विशेष

कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में सनामिष्ठ वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अवकाश पर सरकार के प्रीर प्राईवेट शक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा को जान और उनका समिलेजन राज्यपाल अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राज्यपाल अधिनियम संख्या ११) की धारा २६ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २६ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुसूच्य, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा उचित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

भूमि का विवरण

श्रिवा	सहस्री	वन-लण्ड	गोवा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
समाप्त	नीमकाथाना	गाविडी		१३/१५.२९	भीम, विवरण परिशिष्ट (प) संलग्न है
सीकर	कोटपूतली	सं० १६			
	श्रीमाधोपुर				
			घाटा गन्तर	१५४६.१२	६२५-८०
			बीमलाटा	२२४६.८८	१३५५-५०
			दीवाबास	२५७.००	१०५-००
			लुहारबास	१२४३.८९	५५३-८०
			मरिण्डा	६७७.०६	२६१-८०
			मोकलबास मरिण्डा	६४९.६३	२६२-९०
			गणेश्वर	६८८०.९२	२७४५-००
			खिरीटी मन्कपुरा	८०१.५०	३२५-५०
			मुरानपुरा	५०५.६९	२०५-५०
			मपुरा उदलबास	९४४.१६	९४-८०
			काढली	१४५.१६	५४-७०
			मिथमपुरी	१३८४.०६	५६०-००
			छापरा	८९८.१३	३३६-००
			भुदोली	५५.३४	२३-६०
			गोविडी	६०३८.७६	१५५३-००
			श्रीमोद	१४६५.३१	५९३-००

(सचिव कौर)
उच्च वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

अंतिम: १५९ वर्ग किलो मीटर

आदेश



कार्यालय वन वन्दोपाय/संरक्षक वन वन्दोपाय अधिकारी,

कनक, वन्दोपाय बावत वन-कान्ड

मुम्बई

केन्द्र

नं. १५८

नाम नाम

वन्दोपाय

जिला

जयपुर

१५८

वन्दोपाय	वन्दोपाय	विलस वन्दोपाय	विलस वन्दोपाय	विलस विलस
१	२५१	विलस विलस	विलस विलस	
२	११४५	५	५	
३	१३५५	५	५	
४	१३	५	५	
५	६५५	५	५	
६	६५५	५	५	
७	२०५	५	५	
८	२३५	५	५	
२५	५५	विलस विलस	विलस विलस	
२६	२५५	विलस विलस	५	
२७	१३५	५	५	
२८	२५	५	५	
२९	३०५	५	५	
३०	४५	५	५	
३१	५	५	५	
३२	२५	५	५	

सत्य प्रमाणित

२२६.४३६

S.D.

विलस विलस विलस विलस

विलस विलस विलस विलस

मुम्बई

(सत्य)

प.३५

मुम्बई

प.३५

प.३५

प.३५

(सुदीप कौर)

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)